International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 8.141
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 12 No.3 Jan-Feb 2025

भारतीय शासन : शासन के विभिन्न रूपों का संश्लेषण

डॉ. रमेश प्रसाद कोल
सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग,
शासकीय रणविजय प्रताप सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला उमरिया, म. प्र. भारत
Corresponding Author: डॉ. रमेश प्रसाद कोल
Email- dr.rameshprasadkol@gmail.com
DOI-10.5281/zenodo.14992100

सारांश–

भारत के शासन संगठन के स्वरूप के विशय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा प्रायः राजनीति विज्ञान के छात्रों और मर्मज्ञों के बीच चलती रहती है कि भारत में शासन ''संघात्मक'' है कि ''एकात्मक''। इसी के साथ ही साथ यह भी है कि संसदीय शासन के साथ संघात्मक शासन प्रारम्भ से ही चर्चा का विषय रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में हम यह अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता को स्थानीय स्तर पर संवैधानिक शक्तियां देने के लिए संघात्मक शासन तो संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संक्रमणकालीन एकात्मक शासन के उपबन्ध किए गए हैं। अंततः देश की विविधता को राष्ट्रीय स्तर पर शासन में भागीदारी के लिए संसदीय शासन को अपनाया गया है। इस प्रकार से शोधपत्र में यह अध्ययन किया गया है कि भारतीय शासन व्यवस्था शासन का कोई विशुद्ध रूप न होकर संसदीय शासन, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन का संश्लेशण है।

कीवर्ड:- सांस्कृतिक विविधता, संघात्मक शासन, संसदीय शासन, एकात्मक शासन।

प्रस्तावना–

भारतीय राजव्यवस्था के स्वरूप को लेकर राजनीति विज्ञान के अध्येताओं के बीच यह विषय चर्चित रहता है कि यहां पर संघात्मक शासन है या एकात्मक। इसी के साथ–साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि यहां पर ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली भी अपनाई गई है। शोध–पत्र में यह अध्ययन किया गया है कि यहां पर संविधान निर्माताओं का उद्देश्य शासन के किसी स्वरूप की शुद्धता को बनाए रखना नहीं था वरन देश की सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक संरचना में विविधता की आवश्यकता को तथा देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार शासन के तीन रूपों एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, और संसदीय शासन के महत्वपूर्ण पक्षों को शामिल किया गया है।

सामाजिक–भौतिक पर्यावरण

सबसे पहले हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जो स्वतंत्रता के समय विद्यमान थीं। इसी क्रम में जैसा की हम जानते हैं कि भारत में सामाजिक–सांस्कृतिक बहुलता पाई जाती है। इसी के साथ–साथ भौगोलिक संरचना में भी विविधता पाई जाती है। इस वजह से संविधान निर्माताओं के सामने एक प्रमुख समस्या थी की इस नव स्वतंत्र देश की विविधता को कैसे मान्यता प्रदान की जाए, जिससे लंबे संघर्ष के पश्चात प्राप्त आजादी और अखंड भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सके, क्योंकि भारत आजादी के सुखद अहसास के साथ ही विभाजन की दुखद अनुभूति के दंश भी झेल रहा था। ऐसे में आवश्यकता इस बात की थी कि एक ऐसी शासन प्रणाली अपनाई जाए, जिसमें स्थानीय रचनात्मक आकांक्षाओं को सम्मान मिल सके। अपने स्तर पर शासन संचालन का अधिकार मिल सके, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीति निर्माण हो और उनका क्रियान्वयन भी उनकी भागीदारी से संभव हो सके। इसके अतिरिक्त आवश्यकता इस बात की भी थी कि ऐसा प्रबंध भी संविधान में हो, जिससे देश को संक्रमणकालीन स्थितियों से उबार कर उसकी एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। इन दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया साथ ही साथ एकात्मक पक्षों का भी समावेष किया गया है। इसी के साथ आवश्यकता इस बात की भी थी कि देश में विद्यमान धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और लिंग की विविधता को केंद्र की सरकार में हिस्सेदार बनाया जाए, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था किए जाने से संपूर्ण देश के लिए नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में इन विविधताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन को अपनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी प्रकार शासन में देश सभी जाति, धर्म, भाषा, लिंग और क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार में भागीदारी मिल सकती है। उसका कारण यह है कि इस शासन में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हों। साथ ही यह भी होता है कि निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल को ही सरकार के गठन का अधिकार होता है और बहुमत प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उस दल को लगभग सभी जाति, धर्म,

लिंग और क्षेत्र का समर्थन प्राप्त हो। इसलिए बहुमत प्राप्त दल सरकार (प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद) के गठन में उक्त सभी की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। अब शोधपत्र के अगले चरण में शासन के उक्त तीनों रूपों की प्रमुख विषेशताओं का अध्ययन करंगे, जिससे यह स्पष्ट कर सकें कि शासन के किस रूप की कौन सी विशेषता देश की किस आवश्यकता की पूर्ति कर रही है।

भारतीय संविधान में शासन के तीनो रूपों–

संसदीय, संघात्मक और एकात्मक की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है। संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताएं– 1. कार्यपालिका और व्यस्थापिका में घनिष्ठ संबंध कार्यपालिका और व्यस्थापिका में घनिष्ठ संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर दो प्रकार के शासन होते हैं। जहां ये दोनों अलग–अलग कार्य करते हैं वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन होता है, जबकि जहां इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो यह कि जहां कार्यपालिका का गठन व्यथापिका के सदस्यों में से ही किया जाता है, वहां पर संसदीय शासन होता है। 2. सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय शासन में, जैसा कि भारत में भी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने सभी कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ये प्रतिनिधि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अलग–अलग चुनाव क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। इन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। इसलिए ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताएं हैं –नियतकालिक चुनाव, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति मे संसदीय शासन का संगठन किया जाता है।

संघात्मक शासन की विशेषताएं :

1. शक्ति विभाजन केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन किया गया है जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सरकार के पास रखे गए हैं जिनमें विषयों की संख्या 97 है, जबकि क्षेत्रीय महत्व के विषयों को राज्य सूची में रखा गया है जिन पर विधान और प्रशासन का अधिकार राज्य शासन का है और ऐसे विषय जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है जिन पर विधान का अधिकार दोनों को है परन्तु विवाद की स्थिति में संघ द्वारा निर्मित क़ानून निर्णायक होता है।
2. लिखित और कठोर संविधान–संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन एक लिखित और कठोर संविधान के द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है क्यों की इसी व्यवस्था के अनुसार दोनों सरकारें अपनी अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता के साथ विना एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप किये कार्य कार्य करते हैं। साथ ही इसमें यह भी उपबंध है कि संघीय प्रावधानों में विना राज्यों की सहमति के किसी प्रकार के संशोधन नहीं किये जा सकते हैं।
3. स्वतंत्र, निश्पक्ष और सर्वोच्च न्यायलय – शक्ति विभाजन के बावजूद यह हो सकता है कि विषय क्षेत्र का विवाद हो जाए। ऐसी स्थिति में विवाद के निराकरण के लिए और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायलय की व्यस्था की गई है।

एकात्मक शासनः–

इसके साथ ही साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ एकात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। यहां सबसे पहले हम एकात्मक शासन का अर्थ जानेंगे। यह वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन का संचालन एक केन्द्र से किया जाता है। यद्यपि इसमें भी ईकाइयों का अस्तित्व पाया जाता है, परन्तु वे केन्द्र के अभिकर्ता मात्र होते हैं। संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है। इसी में संघ और राज्य के शासन संचालन से संबंधित प्रावधानों का उपबंध किया गया है। जबकि संघात्मक शासन में संघ के साथ ही राज्यों का अपना पृथक संविधान होता है। इकहरी नागरिकता पाई जाती है। इसका लाभ यह होता है कि देश के किसी भी कोने में रहने वाला नागरिक, केवल देश का नागरिक होता है न कि राज्य का। एकीकृत न्याय प्रणाली भी पाई जाती है। जिसका लाभ यह होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक की निष्ठा न्यापालिका के प्रति होती है। शोधपत्र के इस पड़ाव पर हम भारत की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक बहुलता के अलावा शासन के उक्त तीनों रूपों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि किस प्रकार सामाजिक–सांस्कृतिक और भौतिक संरचना में विविधता को स्थानीय स्तर पर महत्व प्रदान करने के लिए संघात्मक शासन को अपनाया गया है, जबकि देश को संकटकालीन स्थितियों से उबारने और देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए एकात्मक शासन के मूल तत्वों को अपनाया गया है। क्योंकि संकटकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता होती है, जो सबसे अच्छा एकात्मक शासन में ही संभव है। सदियों की गुलामी के अनुभव और स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद में देश विभाजन की दुखद अनुभूति ने संविधान निर्माताओं को इस तरह का उपबंध करने के लिए प्रेरित किया है । जहां एक तरफ संविधान निर्माताओं ने देश में विद्यमान विविधता को संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का संवैधानिक अधिकार, संघात्मक शासन का ब्रज किशोर शर्मा – भारतीय संविधान ,डी.डी. बासु– भारतीय संविधान एक परिचय, बेयर एक्ट ... भारतीय संविधान, डॉ. आर.एन. त्रिवेदी डॉ.एपी राय – भारतीय सरकार एवं राजनीति, डॉ. रूपा मंगलानी – भारतीय शासन एवं राजनीति, डॉ. प्रभुदत्त शर्मा – भारतीय प्रशासन, J.C.Jauhari –The Constitution of India .

उपबंध करके, प्रदान किया है। वहीं दूसरी तरफ इस विविधता से विघटन को रोकने के लिए संकटकालीन स्थितियों से उबरने के लिए एकात्मक

शासन के प्रमुख पक्षों का समावेश किया है। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसदात्मक शासन भी अपनाया गया। इसको अपनाने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो हम ब्रिटिश शासन के दौरान इस प्रकार के शासन संचालन के अनुभवों को प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण दूसरा पक्ष है वह यह कि देश की विविधता को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाय। इस प्रश्न का उत्तर संसदात्मक शासन में ही संभव था, क्योंकि इसमें केन्द्र के स्तर पर शासन के संगठन के तरीके में ऐसे अवसर विद्यमान हैं, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों जाति, भाषा, धर्म, लिंग आदि विविधताओं को शासन में भागीदारी के अवसर प्रदान करता है। इसको और विस्तार से देखें तो स्पष्टता और अधिक होगी। चूंकि संसदीय शासन में निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल को सरकार के गठन का अवसर प्राप्त होता है। बहुमत प्राप्त तभी हो सकता है, जबकि देश के अधिकतर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से दल को सहयोग के आधार पर प्रत्याशी विजयी हों। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। भारत में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के विस्तार में इस बात का ध्यान रखते हैं कि देश के सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग आदि को शासन में अवसर प्राप्त हो सके। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन समुदायों के हितों को शासन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और उनके हितों को सम्मानजनक अवसर नीतियों के रूप में प्राप्त हो सके। चूंकि संसदीय शासन में कार्यपालिका के रूप में जो मंत्रिपरिषद होती हैं, उसमें सदस्यों की बहुलता होती है इसीलिए सभी को अवसर प्राप्त हो पाता है जबकि अध्यक्षीय शासन में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जो एकमात्र व्यक्ति होता है। इसलिए इसमें समाज के विविध पक्षों को शासन में भागीदारी का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया।

निष्कर्ष–

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता को महत्व प्रदान करते हुए संघात्मक शासन अपनाया गया है तो इस विविधता को राष्ट्रीय स्तर पर एक सूत्र में पिरोने के लिए और संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संसदीय तथा एकात्मक शासन को भी अपनाया गया है। इस प्रकार भारतीय शासन शासन का कोई विशुद्ध रूप न होकर उक्त तीनों का संश्लेषण है।

संदर्भ

1. माइकल ए. वेन्स्टीन, व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत, (कोलंबस, ओहियोः चार्ल्स ई. मेरिल 1971),
2. माइकल ए. वेन्स्टीन, व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत, (कोलंबस, ओहियोः चार्ल्स ई. मेरिल 1971),
3. सीबी मैकफर्सन, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, पी. 100, पारेख द्वारा उद्धृत, समकालीन राजनीतिक विचारक, लंदन, 1982।
4. वेंडी ब्राउन, एज वकर्रू क्रिटिकल एसेज ऑन नॉलेज एंड पॉलिटिक्स, (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005)।
5. भार्गव और आचार्य, राजनीतिक सिद्धांतः एक परिचय (नई दिल्लीः पियर्सन, 2008) में उद्धृत।
6. वैन ब्रैकेल, जे, 'प्राकृतिक प्रकार और जीवन के प्रकट रूप', डायलेक्टिका, संख्या 46 (1992) (पीपी. 243–259)